इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1523

22 अगस्त, 2013 को उत्तर के लिए

देश में इस्पात का उत्पादन

1523. डॉ. भालचन्द्र मुणगेकर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह उत्पादन बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

(क) वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान देश में तैयार इस्पात के उत्पादन, उसके आयात, निर्यात तथा वास्तविक खपत का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (यूनिट: मिलियन टन)			
	बिक्री के लिए उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक खपत
2009-10	60.62	7.38	3.25	59.34
2010-11	68.62	6.66	3.64	66.42
2011-12	75.70	6.86	4.59	71.02
2012-13*	77.62	7.87	5.25	73.33

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) * अनंतिम

(ख) जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, भारत इस्पात का वास्तविक आयातकर्ता है। घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष और हाई वेल्यूड स्टील अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत को उसकी थोड़ी सी मात्रा का आयात करने की जरूरत पड़ती है। विगत वित्त वर्ष अर्थात 2012-13 तथा वित्त वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही के दौरान इस्पात का भारत में आयात भारत से निर्यात की तुलना में अधिक था जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

यूनिट: मिलियन टन

क्र.सं.	अवधि	बिक्री के लिए उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक आयात	वास्तविक खपत
1.	2012-13	77.62	7.86	5.25	2.61	73.33
2	अप्रैल-जून 2013 (अनंतिम)	19.57	1.33	1.13	0.19	17.80

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

(ग) इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और एनएमडीसी लिमिटेड अपने-अपने ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड स्थलों में क्रूड/तैयार इस्पात उत्पादन क्षमताओं में पर्याप्त विस्तार कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

ii) इस्पात क्षेत्र में विभिन्न निवेश परियोजनाओं के बीच प्रभावी तालमेल तथा उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी ग्रुप (आईएमजी) का गठन किया गया है।

iii) इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और स्क्रैप जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री के आयात पर शून्य अथवा बहुत ही कम दर पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।

iv) घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए तथा घरेलू लौह अयस्क की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

v) इस्पात मंत्रालय वृद्धि के समक्ष आ रही अड़चनों की जानकारी लेने के लिए नियमित रूप से उद्योग से परामर्श करता है और आवश्यक होने पर अन्य संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक उपचारी उपाय करने की सिफारिश करता है।

****